

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 14-01-2026

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A

३८वीं भारत-फ्रांस रणनीतिक वार्ता

भारत में मध्यस्थता परिषद के गठन में विलंब

RBI द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग विडो को पनः खोलने का प्रस्ताव

संक्षिप्त समाचार

वैली ऑफ प्लावर्स

एनपीएस वात्सल्य योजना 2025

ਨਿਰਸ਼੍ਵੀਕਰण ਸਾਸਲਾਂ ਪਰ ਪਰਾਮਰਥ ਬੋਡੀ

निरंतर प्लेटफॉर्म (NIBANTAB Platform)

क्षिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा 10-मिनट सेवा बंद

पफरफिश विषाक्तता



भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार-निरोधक कानून की एक धारा की वैधता पर विभाजित निर्णय सुनाया है, जिसमें लोक सेवकों पर अभियोजन से पहले पूर्व अनुमति अनिवार्य की गई है।

परिचय

- न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने निष्कर्ष निकाला कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है, जबकि न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन ने कहा कि अनुमति का निर्णय लोकपाल या लोकायुक्त जैसी स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए।
 - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A ने एजेंसियों को केंद्र की अनुमति के बिना सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने से रोक दिया है।
 - यह लोक सेवकों को उन निर्णयों से संबंधित तुच्छ जांचों से सुरक्षा प्रदान करता है जो उन्होंने अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में लिए थे।
- अब यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाएगा ताकि इसे तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जा सके।

नागरिक सेवकों का अभियोजन

- यह उन आपराधिक कार्यवाहियों को संदर्भित करता है जो सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, शक्ति का दुरुपयोग, आपराधिक कदाचार, या आईपीसी और विशेष कानूनों के अंतर्गत अपराधों के लिए शुरू की जाती हैं, जो आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए हों।
- अनुच्छेद 311:** यह नागरिक सेवकों (संघ, राज्य, अखिल भारतीय सेवाएँ) को मनमाने तरीके से बर्खास्तगी, हटाने या पदावनति से बचाता है।

- बर्खास्तगी का अधिकार:** किसी नागरिक सेवक को उस प्राधिकरण से निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता जिसने उसे नियुक्त किया था।
- जांच का अधिकार:** किसी नागरिक सेवक को आरोपों की जानकारी दिए बिना और उसे बचाव का उचित अवसर दिए बिना बर्खास्त, हटाया या पदावनत नहीं किया जा सकता।
- अपवाद:** निम्नलिखित मामलों में जांच आवश्यक नहीं है: आपराधिक दोषसिद्धि, जांच असंभव होना (प्राधिकरण द्वारा दर्ज किया गया कि जांच संभव नहीं है), राज्य सुरक्षा।
- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 197:** न्यायालय लोक सेवक द्वारा किए गए कुछ अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकते।
 - बिना उपयुक्त सरकार की पूर्व अनुमति के।
 - जब अपराध आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किया गया हो।
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988:**
 - धारा 19 अभियोजन के लिए अनुमति:** अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान लेने से पहले पूर्व अनुमति आवश्यक।
 - अनुमति देने वाला प्राधिकरण:** केंद्र/राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकरण।
 - 2018 संशोधन धारा 17A:** आधिकारिक क्षमता में लिए गए निर्णयों की जांच के लिए पूर्व अनुमोदन आवश्यक।

धारा 17A के पक्ष में तर्क

- किसी वैध प्रावधान के दुरुपयोग की मात्र संभावना उसे असंवैधानिक घोषित करने का आधार नहीं हो सकती।
- तुच्छ जांचों से सुरक्षा:** यह ईमानदार लोक सेवकों को प्रेरित या राजनीतिक रूप से प्रेरित जांचों से बचाता है।
- नीति पक्षाधात रोकता है:** बाद की जांच के भय को कम करता है, जिससे जटिल नीति और आर्थिक मामलों में साहसिक एवं समय पर निर्णय लेने को प्रोत्साहन मिलता है।

- प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करता है: अधिकारियों को शासन पर ध्यान केंद्रित करने देता है, बजाय इसके कि वे नियमित निर्णयों के लिए जांच एजेंसियों के सामने बचाव करें।
- जवाबदेही और शासन के बीच संतुलन बनाए रखता है: यह प्रावधान जांच को पूरी तरह नहीं रोकता; यह केवल शुरुआत के चरण को नियंत्रित करता है, जिससे जवाबदेही बनी रहती है।
- व्यावसायिक स्वायत्तता को प्रोत्साहित करता है: सुधारों और नीतियों को लागू करते समय नागरिक सेवकों के संस्थागत आत्मविश्वास को सुदृढ़ करता है।

धारा 17A के विरुद्ध तर्क

- जांच की स्वतंत्रता को कमजोर करता है: पुलिस और भ्रष्टाचार-निरोधक एजेंसियों को कार्यपालिका की अनुमति पर निर्भर बनाता है, जिससे स्वायत्तता कमजोर होती है।
- महत्वपूर्ण चरण में जांच में देरी करता है: पूर्व अनुमोदन साक्ष्यों की हानि का कारण बन सकता है, विशेषतः श्वेतपोश भ्रष्टाचार मामलों में।
- भ्रष्टाचार-निरोधक कानूनों की भावना के विपरीत: सार्वजनिक जवाबदेही से ध्यान हटाकर नौकरशाही सुरक्षा पर केंद्रित करता है, जिससे निवारक शक्ति कमजोर होती है।
- कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन (अनुच्छेद 14): लोक सेवकों को विशेष प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करता है, जो निजी व्यक्तियों को नहीं मिलती।
- कानून के शासन के खिलाफ: धारा 17A मनमानी है क्योंकि इसने प्रारंभिक जांच की संभावना को भी बंद कर दिया, जो कानून के शासन के विरुद्ध है।
- कानून के भय को कमजोर करता है: त्वरित जांच की संभावना कम होने से भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिल सकता है।

आगे की राह

- भ्रष्टाचार शिकायत के तथ्यों की स्वतंत्र जांच आदर्श होगी, अनुमति देने से पहले।

- ईमानदार लोक सेवकों को दुर्भावनापूर्ण मामलों से बचाने और जिनके विरुद्ध स्पष्ट प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार के साक्ष्य हैं, उन्हें अभियोजित करने के बीच संतुलन आवश्यक है।

स्रोत: TH

38वें भारत-फ्रांस रणनीतिक वार्ता संदर्भ

- भारत और फ्रांस ने 38वें भारत-फ्रांस रणनीतिक संवाद के दौरान अपनी रणनीतिक साझेदारी को पुनः पुष्टि की, जिसकी सह-अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार ने की।

परिचय

- भारत और फ्रांस ने सुरक्षा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष एवं नागरिक परमाणु सहयोग के क्षेत्रों में चल रही द्विपक्षीय पहलों पर चर्चा की।
- ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की भावना में संयुक्त विकास एवं सहयोग के अवसरों का अन्वेषण किया गया।

भारत-फ्रांस संबंधों की प्रमुख विशेषताएँ

- भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी:** 26 जनवरी 1998 को शुरू हुई और यह भारत की प्रथम रणनीतिक साझेदारी है।
 - मुख्य दृष्टि:** रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाना और द्विपक्षीय सहयोग को बेहतर करना।
 - प्रमुख रणनीतिक स्तंभ:** रक्षा और सुरक्षा, नागरिक परमाणु सहयोग एवं अंतरिक्ष सहयोग।
 - विस्तारित क्षेत्र:** इंडो-पैसिफिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा, डिजिटलीकरण, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, उन्नत प्रौद्योगिकियाँ और आतंकवाद-रोधी प्रयास।
- रक्षा सहयोग:** वार्षिक रक्षा संवाद (मंत्री-स्तर) और उच्च रक्षा सहयोग समिति (HCDC) (सचिव-स्तर) के माध्यम से समीक्षा की जाती है।
 - राफेल लड़ाकू विमान:** भारत ने डसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल खरीदे।

- **स्कॉर्पीन पनडुब्बियाँ (प्रोजेक्ट P-75):** फ्रांस की नेवल ग्रुप के साथ सहयोग, भारत में 6 पनडुब्बियाँ निर्मित; नवीनतम है आईएनएस वाघशीरा।
 - **लड़ाकू विमान इंजन विकास:** एचएएल और फ्रांस की सफरान हेलीकॉप्टर इंजन्स ने आईएमआरएच कार्यक्रम के अंतर्गत इंजन सह-विकास के लिए समझौता किया।
 - हाल ही में दोनों देशों ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल-एम लड़ाकू विमानों की खरीद हेतु एक अंतर-सरकारी समझौते (IGA) को औपचारिक रूप से पूरा किया।
 - **भविष्य की योजनाएँ:** आगामी पीढ़ी के लड़ाकू विमान इंजनों का सह-विकास।
 - **संयुक्त अभ्यास:** शक्ति, वरुण, FRINJEX-23।
 - **आर्थिक सहयोग:** यूरोपीय संघ में, फ्रांस भारत का पाँचवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली एवं जर्मनी के बाद।
 - भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय व्यापार विगत दशक में दोगुना होकर 2023-24 में 15.11 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
 - दोनों देश संयुक्त रूप से प्रौद्योगिकियों का विकास और वर्तमान प्रौद्योगिकियों का एकीकरण कर रहे हैं।
 - फ्रांस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को सक्षम करने की प्रक्रिया सफल रही है।
 - फ्रांसीसी प्रौद्योगिकियाँ विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विनिर्माण और शहरी अवसंरचना विकास में भारत में एकीकृत की जा रही हैं।
 - **अंतरिक्ष सहयोग:** इसरो और सीएनईएस (फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी) के बीच 60 वर्षों से अधिक का सहयोग है।
 - फ्रांस घटकों, प्रक्षेपण सेवाओं (एरियनस्पेस) का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।
 - **संयुक्त मिशन:** TRISHNA (उपग्रह मिशन), MDA सिस्टम, ग्राउंड स्टेशन समर्थन।
 - **ऊर्जा सहयोग:**
 - **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):** 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा विश्व स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सह-स्थापित।
 - **परमाणु ऊर्जा सहयोग:** 2025 में भारत-फ्रांस रणनीतिक संवाद के ढाँचे में परमाणु ऊर्जा पर विशेष कार्यबल की प्रथम बैठक आयोजित हुई।
 - दोनों पक्षों ने निम्न और मध्यम शक्ति वाले मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) एवं उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर (AMR) पर साझेदारी स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।
 - **समुदाय:** फ्रांस में अनुमानित 1,19,000 भारतीय समुदाय हैं, जो मुख्यतः पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशों से उत्पन्न हुए हैं।
- चिंता के क्षेत्र**
- **व्यापार असंतुलन:** द्विपक्षीय व्यापार क्षमता से कम है, विशेषकर भारत के अन्य ईयू देशों के साथ व्यापार की तुलना में।
 - **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रक्षा प्रतिबंध:** यद्यपि फ्रांस ने भारत के रक्षा लक्ष्यों का समर्थन किया है, बड़े रक्षा उपकरणों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की गहराई पर चिंताएँ हैं।
 - **परमाणु दायित्व चिंताएँ:** 2008 में नागरिक परमाणु समझौते और जैतापुर में रिएक्टरों की योजनाओं के बावजूद प्रगति धीमी रही है।
 - **नागरिक परमाणु क्षति अधिनियम (2010)** फ्रांसीसी कंपनियों के लिए बाधाएँ उत्पन्न करता है क्योंकि यह परमाणु दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ताओं पर दायित्व लगाता है।
 - **भूराजनीतिक मतभेद:** चीन के साथ फ्रांस के सुदृढ़ आर्थिक संबंध कभी-कभी इंडो-पैसिफिक मुद्दों पर भारत के साथ पूर्ण सामंजस्य को कमजोर कर सकते हैं।
 - **मध्य पूर्व पर दृष्टिकोण में अंतर:** ईरान, इजराइल-फिलिस्तीन पर दृष्टिकोण में कभी-कभी मतभेद।

भविष्य की दृष्टि

- **होराइजन 2047 रोडमैप:** भारत-फ्रांस साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ पर दोनों देशों ने 2047 तक द्विपक्षीय संबंधों की रूपरेखा तय करने के लिए रोडमैप अपनाने पर सहमति व्यक्त की।
 - उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों का संयुक्त विकास और उत्पादन।
 - वैश्विक हित के लिए संयुक्त रूप से विकसित उत्पादों का तीसरे देशों को निर्यात।
 - गहरी समुद्री और अंतरिक्ष सुरक्षा सहयोग।
 - रणनीतिक संवाद और संयुक्त सैन्य उपस्थिति के माध्यम से इंडो-पैसिफिक में बढ़ती समानता।

निष्कर्ष

- भारत-फ्रांस रक्षा सहयोग उनकी व्यापक रणनीतिक साझेदारी का आधार है।
- संप्रभुता, बहुपक्षवाद और क्षेत्रीय स्थिरता में साझा हितों के साथ, दोनों देश ‘होराइजन 2047’ दृष्टि के अंतर्गत संबंधों को और ऊँचाई पर ले जाने के लिए तैयार हैं — जिससे रक्षा संबंध अधिक सहयोगात्मक, नवोन्मेषी एवं निर्यात-उन्मुख बनेंगे।

स्रोत: DD

भारत में मध्यस्थता परिषद के गठन में विलंब

संदर्भ

- संघ सरकार ने 2019 में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में संशोधन के बावजूद अब तक भारतीय मध्यस्थता परिषद (ACI) का गठन नहीं किया है।

भारतीय मध्यस्थता परिषद (ACI) क्या है?

- ACI का प्रस्ताव मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत किया गया था।
- इसका दायित्व भारत में संस्थागत मध्यस्थता को विनियमित और प्रोत्साहित करना है।
- इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:
 - मध्यस्थता संस्थानों का ग्रेडिंग करना।

- मध्यस्थता संस्थानों और मध्यस्थों के लिए मानदंड तैयार करना।
- मध्यस्थता में पेशेवराना दृष्टिकोण, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देना।

भारत में मध्यस्थता तंत्र

- मध्यस्थता एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ट्रेडिंग सदस्य, निवेशक, किलरिंग सदस्य, अधिकृत व्यक्ति, सूचीबद्ध कंपनी आदि के बीच विवादों का निपटारा किया जाता है।
- इसका उद्देश्य विवादों के लिए त्वरित कानूनी समाधान प्रदान करना है।
- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 को UNCITRAL (संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग) के कानून ढाँचे के आधार पर तैयार किया गया है।
- **मध्यस्थता समझौता:** पक्षकार विवाद उत्पन्न होने से पहले या बाद में मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने पर सहमत हो सकते हैं।
- **मध्यस्थता न्यायाधिकरण:** इसमें एक या अधिक मध्यस्थ शामिल होते हैं, जिन्हें पक्षकारों द्वारा या उनके द्वारा सहमत प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किया जाता है।
 - विवाद पर लिया गया निर्णय सामान्यतः पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।
 - सामान्यतः मध्यस्थ के निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार नहीं होता।
- **मध्यस्थता कार्यवाही:** अधिनियम मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन के लिए ढाँचा प्रदान करता है, जिसमें मध्यस्थों की नियुक्ति, सुनवाई का संचालन, साक्ष्य प्रस्तुत करना और अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार जारी करना शामिल है।
- **प्रवर्तन:** अधिनियम मध्यस्थता न्यायाधिकरणों को अंतिम समाधान लंबित रहने तक पक्षकारों के अधिकारों की रक्षा हेतु अंतरिम उपाय प्रदान करने का अधिकार देता है।
 - एक बार दिए गए मध्यस्थता पुरस्कार को न्यायालय के निर्णय की तरह लागू किया जा सकता है।

- संस्थागत और तदर्थ मध्यस्थता:** भारत में मध्यस्थता भारतीय मध्यस्थता परिषद (ICA), अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (ICC) जैसे संस्थागत निकायों के माध्यम से या तदर्थ मध्यस्थता के रूप में की जा सकती है, जहाँ पक्षकार सीधे मध्यस्थ नियुक्त करते हैं।

विलंब के प्रभाव

- यह भारत के विवाद समाधान ढाँचे में निवेशकों के विश्वास को कमज़ोर करता है।
- व्यापार करने में आसानी और अनुबंध प्रवर्तन को बाधित करता है।
- यह भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को स्थापित मध्यस्थता केंद्रों की तुलना में कम करता है।
- यह फोरम शॉपिंग और विदेशी मध्यस्थता केंद्रों की प्राथमिकता को प्रोत्साहित करता है।
- तदर्थ मध्यस्थता की समस्याएँ:**
 - तदर्थ मध्यस्थता के प्रभुत्व ने प्रक्रियात्मक विलंब और बढ़ती लागत को जन्म दिया है।
 - तदर्थ मध्यस्थता तीव्रता से समाधान देने के बजाय न्यायालयी मुकदमों जैसी हो गई है।

भारतीय मध्यस्थता परिषद (ICA)

- भारतीय मध्यस्थता परिषद, भारत की प्रमुख मध्यस्थता संस्था है, जो समाज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संस्था है।
- ICA की स्थापना 1965 में राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष मध्यस्थता निकाय के रूप में की गई थी।
- ICA का मुख्य उद्देश्य स्थान की परवाह किए बिना मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों का मैत्रीपूर्ण, त्वरित एवं सस्ता समाधान करना है।
- ICA के पास एक विशिष्ट मध्यस्थों का पैनल है जिसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, पूर्व नौकरशाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं।

RBI द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग विंडो को पुनः खोलने का प्रस्ताव

संदर्भ

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दो दशकों के ठहराव के बाद शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए लाइसेंसिंग विंडो को पुनः खोलने का प्रस्ताव रखा है।
 - RBI ने लगभग 20 वर्ष पूर्व छोटे UCBs में वित्तीय विफलताओं की लहर के पश्चात UCB लाइसेंसिंग को निलंबित कर दिया था।

शहरी सहकारी बैंक (UCBs) के बारे में

- ये सहकारी समितियाँ हैं जो बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न होती हैं, जैसे जमा स्वीकार करना और ऋण देना, मुख्यतः सहकारी समिति के सदस्यों एवं शहरी व अर्ध-शहरी क्षेत्रों की आम जनता को।
- UCBs सदस्य-स्वामित्व वाले होते हैं और 'एक सदस्य, एक वोट' के सिद्धांत पर चलते हैं, चाहे सदस्य के पास कितनी भी शेयर पूँजी हो। यह वाणिज्यिक बैंकों से अलग है, जो संयुक्त-स्टॉक कंपनियों के रूप में संचालित होते हैं।

कानूनी और विनियामक ढाँचा

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (भाग V):** यह उनके बैंकिंग कार्यों जैसे ऋण, जमा, तरलता और सावधानी मानदंडों को नियंत्रित करता है।
 - इसे RBI द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- सहकारी समितियों के अधिनियम (संबंधित राज्यों के या केंद्रीय सहकारी समितियों अधिनियम, 2002):** यह UCBs के पंजीकरण, प्रबंधन, चुनाव और लेखा परीक्षा को नियंत्रित करता है।
 - इसे सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा प्रशासित किया जाता है।

उद्देश्य और भूमिका

- छोटे व्यापारियों, कारीगरों और वेतनभोगी समूहों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

- सदस्यों को उचित ब्याज दरों पर क्रण सुविधाएँ प्रदान करना।
- स्थानीय बचत को उत्पादक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए एकत्रित करना।
- पारस्परिक सहयोग और लोकतांत्रिक प्रबंधन जैसे सहकारी सिद्धांतों को मजबूत करना।

UCBs की संरचनात्मक प्रोफ़ाइल

- 31 मार्च 2025 तक भारत में 1,457 UCBs थे, जिनमें 838 (टियर 1; 57.5%), 535 (टियर 2), 78 (टियर 3), और 6 (टियर 4) बैंक शामिल थे।
- जमा के संदर्भ में बड़े UCBs क्षेत्र पर प्रभुत्वशाली हैं:
 - केवल 7% UCBs के पास ₹1,000 करोड़ से अधिक जमा है, लेकिन वे कुल जमा का 62.5% रखते हैं।
 - इसके विपरीत, 52% UCBs के पास ₹100 करोड़ से कम जमा है, जो कुल जमा का मात्र 5.6% है।
- FY25 तक UCBs की कुल परिसंपत्तियाँ ₹7.38 लाख करोड़ और कुल जमा ₹5.84 लाख करोड़ थीं, जो 2015 में क्रमशः ₹4.35 लाख करोड़ एवं ₹3.55 लाख करोड़ थीं।

नए लाइसेंसिंग के लिए पात्रता मानदंड

- RBI के उप-गवर्नर की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति ने सिफारिश की थी कि नए लाइसेंस केवल वित्तीय रूप से सुदृढ़ और अच्छी तरह से प्रबंधित सहकारी क्रेडिट समितियों को जारी किए जाएँ।
- RBI ने पात्रता को बड़ी सहकारी क्रेडिट समितियों तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा है जो:
 - कम से कम 10 वर्षों से परिचालन में हों;
 - कम से कम पाँच वर्षों का अच्छा वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखें;
 - न्यूनतम 12% का पूँजी से जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR) बनाए रखें;
 - शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NNPA) 3% से अधिक न हों।

- RBI के अनुसार, ऐसे मानदंड यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि केवल वित्तीय रूप से स्थिर और सुशासित संस्थाएँ ही UCBs में परिवर्तित हों।

संबंधित चिंताएँ और मुद्दे

- अधिकारों का ओवरलैप और अनुपालन चुनौतियाँ:** RBI और सहकारी समितियों के अधिनियम की द्वैध नियंत्रण संरचना प्रायः शासन और पर्यवेक्षण में ओवरलैप एवं अनुपालन चुनौतियाँ उत्पन्न करती है।
- शासन से संबंधित चुनौतियाँ:** ‘एक सदस्य, एक वोट’ का सिद्धांत लोकतांत्रिक होते हुए भी पूँजी निवेश और विकास को हतोत्साहित करता है।
 - शेयरधारकों का नाममात्र मूल्य पर प्रवेश और निकास निवेशकों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देता, जिससे सहकारी बैंक के शेयर आकर्षक नहीं बनते।
- पूँजी से संबंधित चुनौतियाँ:** सहकारी शेयर पूँजी की गैर-स्थायी प्रकृति के कारण पूँजी एकत्रित करने में कठिनाइयाँ बनी रहती हैं, जिसे वापस किया जा सकता है और प्रायः उधारी गतिविधियों से जुड़ा होता है।
- अन्य चिंताएँ:** RBI के 2020–2025 के बीच UCB लाइसेंस रद्द करने के विश्लेषण से पता चला कि छोटे UCBs में प्रबंधन धोखाधड़ी, शासन की कमी और निदेशक-संबंधित क्रण उल्लंघन जैसी समस्याएँ बार-बार सामने आईं।

भारत में UCBs को सुदृढ़ करना

- RBI की नीतिगत पहल और संरचनात्मक सुधार:** RBI ने एक स्तरीय विनियामक ढाँचा प्रस्तुत किया है जो UCBs को जमा आकार और जोखिम प्रोफ़ाइल के आधार पर चार स्तरों में वर्गीकृत करता है।
 - टियर 1: छोटे स्थानीय UCBs
 - टियर 2: मध्यम आकार के क्षेत्रीय UCBs
 - टियर 3 और टियर 4: बड़े UCBs जिनका बहु-राज्य संचालन है।
- यह अनुपातिक विनियमन सक्षम करता है, जिससे छोटे बैंकों पर अधिक भार न पड़े जबकि बड़े बैंक सख्त शासन मानदंडों का पालन करें।

- **बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के अंतर्गत उन्नत नियामक शक्तियाँ:**
 - UCBs में CEO नियुक्तियों और बोर्ड सदस्यों को स्वीकृति देना।
 - शासन विफलताओं की स्थिति में प्रबंधन बोर्ड को भंग करना।
 - जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पुनर्निर्माण या विलय योजनाएँ शुरू करना।
- **शासन और प्रबंधन को सुदृढ़ करना:**
 - **बोर्ड का व्यावसायीकरण:** RBI UCB बोर्डों में बैंकिंग, लेखांकन और कानून जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करने पर बल देता है।
 - **निदेशक-संबंधित क्रण समाप्त करना:** UCBs को निदेशकों या उनके संबंधियों को क्रण देने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है।
- **पूँजी पर्याप्तता और वित्तीय लचीलापन सुधारना:**
 - **नवोन्मेषी पूँजी उपकरणों का परिचय:** RBI ने पूँजी बफर बढ़ाने के लिए टियर-II पूँजी उपकरणों और क्रण-समान उत्पादों की खोज को प्रोत्साहित किया है।
 - **एकीकरण और विलय:** RBI कमजोर UCBs के सुदृढ़ बैंकों के साथ स्वैच्छिक विलय को प्रोत्साहित करता है।
 - **सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन ढाँचे:** UCBs को अब लागू करना आवश्यक है:
 - व्यापक जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण,
 - क्रेडिट जोखिम के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS),
 - पूँजी पर्याप्तता और तरलता के लिए तनाव परीक्षण।
- **प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण:** डिजिटल परिवर्तन UCB संचालन को सुदृढ़ करने की कुंजी है। RBI प्रोत्साहित करता है:
 - निर्बाध लेनदेन के लिए कोर बैंकिंग समाधान (CBS) अपनाना;

- UPI और NEFT जैसे डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण;
- साइबर सुरक्षा ढाँचे और डेटा संरक्षण मानदंडों का कार्यान्वयन।
- **जमाकर्ता संरक्षण और पारदर्शिता:** UCBs में जमा जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) के तहत प्रति जमाकर्ता ₹5 लाख तक कवर किए जाते हैं।

आगे की राह

- UCBs को सुदृढ़ करना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जिसके लिए विनियमन, आधुनिकीकरण और सहकारी नैतिकता का संतुलित मिश्रण आवश्यक है। भविष्य की लचीलापन के लिए, UCBs को चाहिए कि वे:
 - विवेकपूर्ण क्रण बनाए रखते हुए राजस्व स्रोतों में विविधता लाएँ।
 - मजबूत आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा तंत्र विकसित करें।
 - डिजिटल बैंकिंग और हरित वित्त (Green Finance) के अवसरों को अपनाएँ।
 - राज्य या क्षेत्रीय समर्थन पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें।
- इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विश्वास पुनर्स्थापित किया जा सकता है, दक्षता में सुधार होगा और UCBs को भारत की वित्तीय संरचना के सुदृढ़, समावेशी स्तंभों के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

वैली ऑफ फ्लावर्स

संदर्भ

- वैली ऑफ फ्लावर्स के पास आग लगी हुई है, जिसके कारण वन विभाग को वायुसेना की सहायता लेनी पड़ी है।

वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में

- यह उत्तराखण्ड के चमोली ज़िले में वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के अंदर स्थित है, जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है।

- इसे वैली ऑफ फ्लार्वर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानसून के दौरान पूरी घाटी हजारों खिले हुए फूलों से जीवंत हो उठती है।
- इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
- 2005 में इसकी अद्वितीय सुंदरता और विशिष्ट अल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।
- इस घाटी की आधिकारिक खोज ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में की थी, जब वे संयोगवश यहाँ पहुँचे।



स्रोत: TH

एनपीएस वात्सल्य योजना, 2025

समाचार में

- पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एनपीएस वात्सल्य योजना, 2025 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के ढाँचे का विस्तार कर नाबालिगों के लिए प्रारंभिक जीवन पेंशन समावेशन सक्षम हो सके।

एनपीएस वात्सल्य योजना, 2025 के बारे में

- एनपीएस वात्सल्य, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत नाबालिगों के लिए एक पेंशन बचत योजना है।
- यह माता-पिता या कानूनी अभिभावक को बच्चे की ओर से एनपीएस खाता खोलने और संचालित करने की अनुमति देती है।
- मुख्य विशेषताएँ**
 - पात्रता:** 18 वर्ष से कम आयु के भारतीय नागरिक।
 - खाता प्रकार:** नाबालिग के नाम पर व्यक्तिगत पेंशन खाता।

- संचालन:** बच्चे के वयस्क होने तक माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रबंधित।
- परिवर्तन:** 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर खाता नियमित एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जाता है।
- न्यूनतम योगदान:** न्यूनतम प्रारंभिक और वार्षिक योगदान ₹250; योगदान की कोई अधिकतम सीमा नहीं।
- निवेश:** निधियों का निवेश पेंशन फंड मैनेजर्स (PFMs) द्वारा एनपीएस दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

स्रोत: PIB

निरस्तीकरण मामलों पर परामर्श बोर्ड

समाचार में

- वरिष्ठ भारतीय राजनियिक डी.बी. वेंकटेश वर्मा को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 2026–27 कार्यकाल के लिए निरस्तीकरण मामलों पर परामर्श बोर्ड की अध्यक्षता हेतु नामित किया है। यह प्रथम बार है जब कोई भारतीय इस पद को संभालेगा।

निरस्तीकरण मामलों पर परामर्श बोर्ड

- इसकी स्थापना 1978 में महासभा के दसवें विशेष सत्र के अंतिम दस्तावेज के अनुच्छेद 124 के अनुसार की गई थी।
- संरचना:** परामर्श बोर्ड के सदस्य महासचिव द्वारा विश्व के सभी क्षेत्रों से उनके निरस्तीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर चुने जाते हैं।
- बोर्ड में पंद्रह सदस्य होते हैं, और संयुक्त राष्ट्र निरस्तीकरण अनुसंधान संस्थान के निदेशक पदेन सदस्य होते हैं।
- कार्य:** यह महासचिव को हथियारों की सीमा और निरस्तीकरण से संबंधित मुद्दों पर परामर्श देता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत संस्थानों के संरक्षण में किए गए अध्ययन एवं अनुसंधान शामिल हैं।

- यह संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण अनुसंधान संस्थान का न्यासी बोर्ड भी है।
- यह महासचिव को संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सूचना कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर भी परामर्श देता है।

स्रोत: FP

निरंतर प्लेटफॉर्म (NIRANTAR Platform)

समाचार में

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सज टू ट्रांसफॉर्म, अडैप्ट एंड बिल्ड रेजिलिएंस (NIRANTAR) की बैठक की अध्यक्षता की।

निरंतर (NIRANTAR)

- यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अंतर्गत संस्थानों का एक प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य समन्वय एवं सहयोग को बेहतर बनाना है।
- इसके चार वर्टिकल्स अनुसंधान, मूल्यांकन और संसाधनों (विशेषकर जैव संसाधनों) के उपयोग पर केंद्रित हैं ताकि उनके सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।
- निरंतर प्लेटफॉर्म जैव संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

स्रोत: PIB

क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स द्वारा 10-मिनट सेवा बंद

संदर्भ


- भारतीय क्विक कॉमर्स कंपनियाँ स्विगी और ज़ेप्टो ने सरकारी आदेश के बाद अपनी क्विक कॉमर्स सेवाओं की ब्रांडिंग बदल दी है और इसे “10-मिनट” सेवा के रूप में प्रचारित करना बंद कर दिया है।
 - इस कदम का उद्देश्य गिग वर्कर्स के लिए अधिक सुरक्षा, संरक्षा और बेहतर कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करना है।

गिग वर्कर्स कौन होते हैं?

- गैर-मानक या गिग कार्य उन आय अर्जित गतिविधियों को संदर्भित करता है जो मानक, दीर्घकालिक नियोक्ताकर्मचारी संबंधों से बाहर होती हैं।
- यह अस्थायी और अंशकालिक पदों पर अत्यधिक निर्भर करता है, जिन्हें स्वतंत्र ठेकेदारों एवं फ्रीलांसरों द्वारा भरा जाता है, न कि स्थायी पूर्णकालिक कर्मचारियों द्वारा।
- यह शब्द संगीत जगत से लिया गया है, जहाँ कलाकार विभिन्न स्थलों पर एकल या अल्पकालिक कार्यक्रम (“गिम्स”) करते हैं।
- गिग अर्थव्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है ताकि फ्रीलांसरों को ग्राहकों से जोड़ा जा सके और अल्पकालिक सेवाएँ या संपत्ति-साझाकरण प्रदान किया जा सके।
 - उदाहरण: राइड-हेलिंग ऐप्स, फूड डिलीवरी ऐप्स, और हॉलिडे रेंटल ऐप्स।

भारत की गिग अर्थव्यवस्था

- भारत का गिग कार्यबल 2024–25 में 1 करोड़ से बढ़कर 2029–30 तक 2.35 करोड़ होने की संभावना है।



- कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी मान्यता और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है।
- ई-श्रम पोर्टल ने 30.98 करोड़ असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत किया है, जिनमें 3.37 लाख प्लेटफॉर्म वर्कर्स शामिल हैं।

- उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक पंजीकरण हुए हैं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी भी सुदृढ़ है।

स्रोत: TH

पफरफ़िश विषाक्तता

समाचार में

- वैज्ञानिकों ने भारत में पफरफ़िश विषाक्तता का पहला मामला पुष्टि किया है, जिससे एक बड़े पैमाने पर अनदेखे नदी-आधारित स्वास्थ्य जोखिम पर ध्यान गया है।

पफरफ़िश

- यह टेट्राओडॉन्टिफॉर्मेस क्रम से संबंधित है और स्थानीय रूप से टोडफ़िश, पटका फ़िश, बैलूनफ़िश एवं फुगु जैसे नामों से जानी जाती है।
 - वैश्विक सूची में लगभग 190–193 मान्य प्रजातियाँ दर्ज हैं।

- यह सर्वाहारी और बैंथिक आवास वाली होती है भारत में रिपोर्ट की गई स्वच्छ जल की पफरफ़िश प्रजातियाँ प्रायः विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में स्थानिक होती हैं और स्वस्थ नदी पारिस्थितिकी तंत्र के संकेतक के रूप में कार्य करती हैं।

भारत में स्थिति

- भारतीय जल में वर्तमान में 8 वंश और 32 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- इनका वितरण कुछ विशिष्ट क्षेत्रों और नदी प्रणालियों तक सीमित है, मुख्यतः पश्चिमी घाट और प्रमुख बेसिन जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी।
- IUCN रेड लिस्ट स्थिति:** ड्राफ़ फफरफ़िश को सुभेद्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि अपशिष्ट जल प्रदूषण और एक्वेरियम व्यापार के लिए संग्रहण के कारण इसकी जनसंख्या घट रही है।

Toxic Pufferfish in Indian Rivers: Hidden Health Risk


Freshwater pufferfish in Indian rivers are posing an overlooked health risk due to deadly neurotoxin tetrodotoxin (TTX)

Major Symptoms of Pufferfish (Tetrodotoxin) Poisoning




- Rapid numbness and tingling of lips, tongue and face
- Nausea and vomiting
- Dizziness and weakness
- Difficulty speaking (slurred speech)
- Progressive paralysis

How Pufferfish become toxic



Major Environmental Factors



Key Actions for public health protection



पफरफ़िश विषाक्तता

- पफरफ़िश पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण होती हैं और प्रायः स्वस्थ स्वच्छ जल की प्रणालियों के संकेतक होती हैं।
- कुछ पफरफ़िश टेट्रोडोटॉक्सिन (TTX) वहन करती हैं,

जो तंत्रिका सोडियम चैनलों को अवरुद्ध कर सकती है और लकवा, श्वसन विफलता और मृत्यु का कारण बन सकती है।

- यह विष हीट-स्टेबल है और इसका कोई ज्ञात प्रतिरोधक नहीं है।

- साक्ष्य बताते हैं कि पफरफिश स्वयं TTX का उत्पादन नहीं करतीं; बल्कि यह विष संभवतः वाइब्रियो, एरोमोनास और बैसिलस जैसी सहजीवी या निगली गई बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है।
- एशिया भर में पफरफिश विषाक्तता व्यापक रूप से दर्ज की गई है, बांग्लादेश, सिंगापुर और हांगकांग में मृत्युओं की रिपोर्ट हुई है।
- जापान में, जहाँ पफरफिश (फुगु) को एक व्यंजन के रूप में खाया जाता है, केवल लाइसेंस प्राप्त शोफ को इसे तैयार करने की अनुमति है।
 - ◆ भारत में, हालांकि, तुलनीय सुरक्षात्मक उपायों की कमी है।

स्रोत: DTE

